तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 28/2025**	म्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए
15—7—2025	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 (रमेश कुमार पुत्र श्री गुलाबराम माली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स कृष्णा घी भण्ड़ार, सब्जी मण्डी मार्केट, शिवगंज, जिला– सिरोही), प्रतिवादी संख्या 2 (कैलाश कुमार माली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स अन्नपूर्णा ट्रेडर्स, इन्दाजी नगर, भैरुजी चौक, सुमेरपुर, जिला– पाली), प्रतिवादी संख्या 3 (दुर्गेश खुबचन्दानी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स श्री गोकुल ट्रेडर्स, A 42, कमला नेहरु नगर, 2nd Extension, जोधपुर) व प्रतिवादी संख्या 4 (Ratan Singh Solanki, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, M/s Shree Madhur Dairy farm & food Products, Near AVVNL GSS, Amberi, Udaipur, Raj.) अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 19—10—2024 को मैसर्स कृष्णा घी भण्ड़ार, सब्जी मण्डी मार्केट, शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता रमेश कुमार पुत्र श्री गुलाबराम माली से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (जयन्त ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-2514, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर के विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./1516/Act/2024/1568 दिनांक 30—10—2024 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 08—7—2025 को प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 क्रमशः रमेश कुमार, कैलाश कुमार व रतन सिंह सोलंकी ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर अलग अलग लिखित जवाब प्रस्तुत कर जुर्म/गलती स्वीकर करते हुए प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जबकि प्रतिवादी संख्या 3 (दुर्गेश खुबचन्दानी) को नोटिस की पंजीकृत डाक से तामिल होने के बावजूद भी इस न्यायालय में उपस्थित नही हुआ। प्रकरण में दिनांक 08—7—2025 को ही प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 क्रमशः रमेश कुमार, कैलाश कुमार व रतन सिंह सोलंकी को सुना गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 क्रमशः रमेश कुमार व कैलाश कुमार ने अनुरोध किया कि उन्होनें उक्त घी को, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की फर्म से खरीद किया है व उक्त घी की निर्माता फर्म श्री मधुर डेयरी फार्म एण्ड फूड प्रोडक्टस् है। हमनें जिस पैकिंग अवस्था में घी क्रय किया है उसी अवस्था में ही विक्रय किया है, इसमें हमारी गलती नही होकर निर्माता कम्पनी की गलती है, इसलिये इस मुकदमें से मुक्त करावें। प्रतिवादी संख्या 4 (रतन सिंह सोलंकी) ने यह अनुरोध किया कि यह उसका प्रथम अपराध है एवं उन्होनें घी में कोई मिलावट नही की है। भविष्य में अमानक खाद्य पदार्थ का विक्रय नही करेगा। अतः प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप ....लगातार	

न्यायालय प्रा. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

पीठा. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 28/2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 19–10–2024 को समय 3–30 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स कृष्णा घी भण्ड़ार, सब्जी मण्डी मार्केट, शिवगंज, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर की हैसियत से प्रतिवादी रमेश कुमार पुत्र श्री गुलाबराम माली उपस्थित मिले, जो मैसर्स कृष्णा घी भण्ड़ार, सब्जी मण्डी मार्केट, शिवगंज़, जिला– सिरोही में आमजन के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ घी (जयन्त ब्राण्ड) आदि का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा मैसर्स कृष्णा घी भण्ड़ार, सब्जी मार्केट, शिवगंज की दुकान के निरीक्षण के दौरान दुकान के अन्दर खाद्य पदार्थ घी (जयन्त ब्राण्ड) के 45 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 200 एम.एल.) रखे हुए पाये, जिनमें मिलावट का शक पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता रमेश कुमार को गवाह श्री मनीषपाल सिंह के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने मैसर्स कृष्णा घी भण्ड़ार की दुकान के अन्दर आमजन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ घी (जयन्त ब्राण्ड) के 45 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 200 एम.एल.) में से घी (जयन्त ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 200 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु कीमत राशि रुपये 400/– (अक्षरे रुपये चार सौ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता रमेश कुमार को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2514, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ घी (जयन्त ब्राण्ड) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना पैकेट पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना पैकेटों को अलग–अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता, उक्त गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 21–10–2024 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री सिद्धार्थ, कार्मिक, कार्यलय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 19–10–2024 को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी	

.......लगातार

न्या. मजि. प्रथम श्रेणी, सिरोही (राज.)

सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 28/2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

(मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा मैसर्स कृष्णा घी भण्ड़ार, सब्जी मण्डी मार्केट, शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता रमेश कुमार पुत्र श्री गुलाबराम माली से खाद्य पदार्थ घी (जयन्त ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ घी (जयन्त ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-2514 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1516/Act/2024/1568 दिनांक 30–10–2024 के अनुसार खाद्य पदार्थ घी (जयन्त ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-2514, अमानक (sub-standard) पाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा खाद्य पदार्थ घी (श्री सारस ब्राण्ड) का नमूना मूल कम्पनी पैक्ड अवस्था में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया था। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, इसके अनुसार अमानक (sub-standard) खाद्य सामग्री के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु निर्माता फर्म/पैकर ही उत्तरदायी है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि उक्त खाद्य पदार्थ घी (जयन्त ब्राण्ड) की निर्माता फर्म M/s Shree Madhur Dairy farm & food Products, Near AVVNL GSS, Amberi, Udaipur है, जो प्रतिवादी रतन सिंह सोलंकी की प्रोपराईटरी फर्म है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी रतन सिंह सोंलकी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, M/s Shree Madhur Dairy farm & food Products, Near AVVNL GSS, Amberi, Udaipur द्वारा अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (जयन्त ब्राण्ड) का निर्माण, पैकिंग व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 80 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को दोषमुक्त किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (जयन्त ब्राण्ड) (नमूना संख्या S-2514) के निर्माण, पेकिंग व विक्रय हेतु प्रतिवादी Ratan Singh Solanki, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, M/s Shree Madhur Dairy farm & food Products, Near AVVNL GSS, Amberi, Udaipur (Raj.) पर राशि रुपये 50,000/– (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। प्रतिवादी रतन सिंह सोलंकी को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी रतन सिंह सोलंकी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 18–8–2025 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.